कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौडगढ (राज0)

क्रमांक न–5 ( )चित्तौड–फोर्स/2025/ 5564 दिनांकः– 04.12.2025

–::प्रेस नोट::–

कानिस्टेबल भर्ती 2025 की शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड , राजस्थान जयपुर के विज्ञप्ति क्रमांक 1360 दिनांक 09.04.2025, संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1535 एवं संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1762 दिनांक 12.05.2025 द्वारा **कानिस्टेबल भर्ती वर्ष 2025 जिला चित्तौडगढ** के कानिस्टेबल सामान्य/चालक (नॉन टीएसपी/टीएसपी) की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा (PST/PET) का आयोजन **महाराणा भूपाल स्टेडियम, पहाडी बस स्टेण्ड के पास, चेतक सर्कल, उदयपुर** पर **दिनांक 14.12.2025 को प्रातः 05:00 बजे** से किया जायेगा । लिखित परीक्षा में उत्तीण अभ्यर्थियों के ई–प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाईड www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं, जहां से अभ्यार्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यार्थी शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपना (वेबसाइड से डाउनलोड) ई–प्रवेश पत्र,पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो 04, वैद्य पहचान पत्र, कानिस्टेबल चालक पद हेतु दिनांक 01.01.2026 को कम से कम 01 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थाई वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स (LMV/HMV) एवं विज्ञप्ति 1360 दिनांक 09.04.2025 के बिन्दु संख्या 16 में उल्लेखित प्रमाण पत्र साथ लेकर आयेगें । शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा का स्थान, समय एवं दिनांक अभ्यार्थी के ई–प्रवेश पत्र पर अंकित है। अभ्यर्थी अपने साथ राजकीय चिकित्सक का शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड में भाग लेने हेतु शारीरिक रुप से योग्य होने का फीटनेस प्रमाण पत्र एवं ऑन लाईन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट अनिवार्य रुप से साथ लेकर उपस्थित होगें।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड , राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 5820 दिनांक 01.12.2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित की जावें

- निर्देशानुसार ईडब्ल्युएस प्रमाण पत्र आवेदन करने की दिनांक से पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात 2024–25) की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी किया हुआ आर्थिक पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमाकं 28046 दिनांक 06.05.2022 द्वारा निर्धारित शपथ पत्र अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत करने के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को अधिकतम 03 वर्ष के लिए वैद्य माना जाएगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के दिशा–निर्देश दिनांक 09.09.2015 के बिन्दु संख्या –04 में वर्णितानुसार एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए जारी प्रमाण पत्र जीवन पर्यन्त होगा, जबकि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र

क्रिमिलेयर में नही होने सम्बन्धी तथ्य तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी।

- ओबीसी / एमबीसी / आर्थिक पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से देय होता है। यदि किन्ही कारणों से आवेदन की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदन की अन्तिम तिथि को सम्बन्धित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।

4.12.28

(मनीष त्रिपाठी)
पुलिस अधीक्षक
जिला चित्तौडगढ।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ :–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निदेशक, एस.सी.आर.बी. राजस्थान जयपुर ।
3. महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर उदयपुर रेंज उदयपुर ।
4. पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय) आयुक्तालय जयपुर / जोधपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक गण मय जीआरपी अजमेर / जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त प्रेस नोट को सूचना पट्ट एवं किसी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराकर प्रचार प्रसार करवाने की व्यवस्था कराने हेतु अनुरोध है ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ / पालनार्थ :–

1. अति.पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) चित्तौडगढ / रावतभाटा ।
2. अति.पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान सेल चित्तौड़गढ ।
3. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, चित्तौडगढ पास भेजकर लेख है कि प्रेस नोट को स्थानीय / प्रादेशिक दैनिक समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
4. समस्त वृत्ताधिकारीगण / थानाधिकारी गण, जिला चित्तौडगढ पास भेजकर लेख है कि उक्त प्रेस नोट को आपके वृत कार्यालय / थानों के सूचना पट्ट पर चस्पा करावें।
5. संचित निरीक्षक पुलिस लाईन, चित्तौडगढ को भेजकर लेख है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को सूचना पट्ट पर चस्पा कर प्रचार प्रसार करावें।
6. पुलिस कन्ट्रोल रूम, चित्तौडगढ।
7. प्रभारी एमओबी / डीसीआरबी को पालनार्थ।

पुलिस अधीक्षक
जिला चित्तौडगढ।